संख्या-29/497/30-3-14-75बी/2000 टी0सी0(कम्प्यूटरीकरण)

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 14 मार्च, 2014

विषय- परिवहन विभाग की कम्प्यूटरीकरण की योजनान्तर्गत परिवहन कार्यालयों में वाहनों के लीगेसी डाटा डिजिटाइजेशन कुल धनराशि रू0 39,61,516/- अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-16(जी)कं0से0/2014-16कं0से0(डीडी)/07-2, दिनॉक 20-02-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग की कम्प्यूटरीकरण योजना के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष -2013-14 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष-3055 के अन्तर्गत 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की मद में प्रावधानित धनराशि रू0 1,76,88,000/- व प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि रू0 1,00,00,000/- इस प्रकार कुल प्रावधानित धनराशि रू0 2,76,88,000/- के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा रू0 1,74,65,486/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है और अब इस मद में रू0 1,02,22,514/- की धनराशि अवशेष है।

2- इस सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त के उपरिसन्दर्भित पत्र दिनॉक 20-02-2014 पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय मद में अवशेष धनराशि रू0 1,02,22,514/- (रू0 एक करोड़ दो लाख बाइस हजार पॉच सौ चौदह मात्र) में से वाहनों के लीगेसी डाटा डिजिटाइजेशन के कार्य हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 डेस्को द्वारा प्रस्तुत बिलों की बकाया धनराशि रू0 21,61,516/- (रूपये इक्कीस लाख इकसठ हजार पॉच सौ सोलह मात्र) तथा माह फरवरी के सम्भावित बिलों के भुगतान हेतु रू0 18,00,000/- (रूपये अठ्ठारह लाख मात्र) कुल धनराशि रू0 39,61,516/- (रूपये उन्तालीस लाख इकसठ हजार पॉच सौ सोलह मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल इस शर्त के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं कि बिलों के सत्यापन एवं कराये गये कार्यों की सत्यता प्रमाणित करने हेतु परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"3055-सडक परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मानकों के अनुसार वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0सं0-ई-9-124/दस-2014, दिनॉक 14 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0

(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-29/497(1)/तीस-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- नियोजन अनुभाग-4
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in